[अध्यक्ष महोदय]

तरह दफ्तरों में लोगों को काम न करने देना, हवाई अड्डों पर पशुओं को छोड़ देना आदि बड़ी अनुचित कार्यवाही है । इस आन्दोलन के नेताओं को मेरा परामर्श है कि अब इसको बन्द कर दें । मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

भारत और चीन के प्रधान मंत्रियों की संयुक्त विज्ञप्ति

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मैं उस संयुक्त विज्ञप्ति की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो मेरे तथा चीनी लोक गणराज्य के प्रधान मंत्री के बीच हुई वार्ता के परिणामस्वरूप कल रात जारी की गयी है । **[पुस्कालय में रखी गयी ; देखिये संख्या एल० टी० २१२३/६०]**

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : जो सूचना अखबारों में छपी है उसको दृष्टि में रखते हुए, क्या हम यह जान सकते हैं कि प्रधान मंत्री उस इलाके को खाली कराने के लिए क्या कार्यवाही करेंगे जो चीन के कब्जे में है ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : सारा देश दोनों प्रधान मंत्रियों की वार्ता को जानने के लिए उत्सुक है । इसलिए हमें बताया जाय कि किस ढंग से वार्ता हुई ।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : सभा को इस विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाय ।

†**श्री मंहती** (ढेंकानल) : संयुक्त विज्ञप्ति तो अखबारों में छप ही चुकी है। इसलिए उसका अब कोई विशेष महत्व नहीं है । हम माननीय प्रधान मंत्री से उन छ बातों के बारे में जानना चाहते है जो चीनी प्रधान मंत्री ने कही हैं । हमारी इच्छा है कि इस विषय पर पूरी चर्चा होनी चाहिए ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कल रात, संयुक्त वक्तव्य के जारी होने के बाद, प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई ने एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया था । यह सम्मेलन काफी देर तक चला; शायद ढाई घंटे तक होता रहा । आज सुबह के अखबारों में इसका ज़िक्र है परन्तु पूरी रिपोर्ट अखबारों में नहीं है । पूरी रिपोर्ट शायद कल छपे । मैंने भी पूरी रिपोर्ट नहीं देखी । जिन चीजों को मैंने देखा है उनसे यही प्रकट होता है कि उन्होंने अपने ही विचारों को प्रकट किया है हमारे विचारों को नहीं ।

माननीय सदस्य ने ६ बातों के बारे में कहा है । हम उन बातों से सहमत नहीं है । मैं उसी लेख से उन बातों को पढ़कर सुनाता हूं जो उन्होंने प्रेस को दिया था । पहली बात यह थी :—

"दोनों तरफ की सीमा के बारे में विवाद है ।"

विवाद तो निस्संदेह है । दूसरी बात यह है :—

"कि दोनों देशों के बीच एक ऐसी सीमा है जहां तक दोनों का वास्तविक नियंत्रण है और जहां तक का क्षेत्र दोनों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में है ।"

†**श्री खुशवक्त राय** (खेरी) : यही बात प्रतिरक्षा मंत्री ने कही थी ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह बात स्पष्ट है और पता नहीं यह किस तरह महत्वपूर्ण है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मंहती : क्या प्रशासन के अधीन क्षेत्र और भौगोलिक सीमा में अन्तर है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : प्रशासित क्षेत्र आदि का कोई प्रश्न नहीं उठता । इस बात का मतलब यह है, मोटे तौर पर, कि दोनों देशों के बीच एक नियंत्रित क्षेत्र है अर्थात् ऐसा इलाका है जो सैनिक नियंत्रण में है ।

†श्री हेम बरुआ : इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि लांग-जू तथा लद्दाख के वे भाग जो उनके कब्जे में हैं, वहीं रहें ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : लांग-जू पर उनका कब्जा है । वह उनके सैनिक नियंत्रण के अधीन है । तीसरी बात यह है :—

"सीमा का निर्धारण करते समय कुछ भौगोलिक सिद्धान्तों, जैसे 'वाटरशेडों', नदी घाटियों, पहाड़ी दर्रों, को सीमा के प्रत्येक क्षेत्र पर लागू किया जा सकता है ।"

यह मान्य सिद्धान्त है । हम इस बात से सहमत हैं कि नदियों के जल को विभाजित करने वाली पहाड़ियां या ढलानें (वाटरशेड्स) महत्वपूर्ण हैं । पहाड़ी इलाके में तो ये चीजें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं । परन्तु इस बात से कोई हल नहीं निकलता । चौथी बात यह है :—

"दोनों देशों के सीमा सम्बन्धी प्रश्न का हल दोनों देशों के लोगों की हिमालय तथा काराकुर्म पर्वतों के प्रति राष्ट्रीय भावनाओं को दृष्टि में रख कर किया जाय ।"

हिमालय भारत का जाना पहचाना अंग है । सारी भारतीय संस्कृति का यह गहवारा है ।

†श्री वाजपेयी : काराकुर्म के सम्बन्ध में हमारी भावना क्या है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि चीन वाले काराकुर्म के प्रति भावनायें रखते हैं तो उन्हें रखने दो । हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

†श्री हेम बरुआ : क्या उनका मतलब है कि वहां जनमत-संग्रह हो ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जनमत संग्रह की कोई भी बात नहीं है न जाने माननीय सदस्य को यह ख्याल कहां से आया । हम हिमालय के शिखरों के बारे में जनमत नहीं करा सकते । पांचवीं बात यह है :—

"जब तक बातचीत द्वारा सीमा विवाद का निपटारा न हो जाय तब तक दोनों पक्षों को उसी स्थान तक रहना चाहिए जहां तक उनका वास्तविक नियंत्रण है; पक्षों को हल के लिए क्षेत्रीय दावे नहीं करने चाहिएं, किन्तु इक्के दुक्के परिवर्तन हो सकते हैं ।"

चाहे इसकी कुछ भी व्याख्या की जाय पर इस तरह से कहने का ढंग ठीक नहीं है । शायद इसका अर्थ यही होगा कि जब तक उनका क्षेत्रीय दावा न माना जाय तब तक वे आगे बातचीत करने को तैयार नहीं होंगे । हो सकता है यह बात स्पष्ट न हो । छठी बात यह है :—

"सीमा पर शांति बनाये रखने के लिए, ताकि बातचीत में भी सुविधा हो, दोनों पक्षों को चाहिए कि वे सारी सीमा पर सैनिक गश्ती टुकड़ियां न भेजें ।"

ऐसी बात नहीं थी कि मैं इन चीजों से सहमत था । वस्तुतः ऐसा कहने से पूर्व उन्होंने कहा था :

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

"सीमा सम्बन्धी समस्या पर दोनों पक्षों के लिए ऐसी बातों का ढूंढ निकालना असंभव नहीं है जिन पर दोनों पक्ष सहमत हों । मेरी राय में उन बातों को निम्न प्रकार से संक्षेप में रखा जा सकता है . . . . . ."

इसके बाद संक्षेप से ये बातें उन्होंने कहीं । उन्होंने अपना दृष्टिकोण बता दिया है पर यह स्पष्ट नहीं है । मुझे यह तरीका पसन्द नहीं । खैर, मैं दो या तीन चीजों को स्पष्ट करना चाहता हूं ।

मैं समझता हूं कि उन से किसी ने पूछा था "कि क्या आप को वह इलाका खाली करने को कहा गया था जिस पर आप ने कब्जा किया है ।" उन्हों ने जवाब दिया था "नहीं" । उन्हों ने कहा था कि उन से इलाका खाली करने जैसी बात किसी ने भी नहीं कही थी ।

चीन के प्रधान मंत्री यहां पर संभवतया इसलिये आये थे क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण घटनायें हो चुकी थीं, हमारे कहने के अनुसार चीनी हमारे क्षेत्र में घुसे थे. . . . .काफी बड़े क्षेत्र में घुसे थे. . . . .और उसे हम आक्रमण मानते हैं । उन के आने का आधार ही यह था । यदि माननीय सदस्यों को स्मरण हैं तो वह समझ सकते हैं कि एक या दो भाषणों में जिन्हें मैं ने हवाई अड्डे तथा भोज के समय दिया था, कहा था, कि जो कुछ किया गया है उसे समाप्त किया जाय ।

हमारी सारी दलीलें इसी आधार पर टिकी हुई थीं कि चीनी सेनायें भारतीय क्षेत्र में घुसी है । उन का कहना था कि चीनी सेनायें सदा से वहां हैं अर्थात् या तो उत्तर की ओर सींकियांग के प्राधिकारी वहां रहे हैं या फिर तिब्बत के अधिकार में यह क्षेत्र रहा है । उन का तो यह भी कहना था कि यह कब्जा अब से नहीं दो सौ साल से है । हमारी और उन की बातों में इतना ज्यादा अंतर था कि बातचीत करने की कोई गुंजाइश ही न थी । हम तो अब भी कहते हैं कि चीन की सेनायें हाल ही में इस क्षेत्र में घुसी हैं । यह तो स्वाभाविक ही है कि वह एकदम सारे क्षेत्र में नहीं फैली बल्कि पिछले साल छः महीने के अन्दर ही वे वहां आई हैं । कहीं पर साल भर से आयी हैं कहीं पर कम अर्से से । मैं यह बातें पश्चिमी क्षेत्र के सम्बन्ध में कह रहा हूं ।

उनका जवाब था कि इस क्षेत्र पर उन का कब्जा दो सौ साल से हैं । अब दोनों बातों में बहुत भारी अन्तर हैं । तथ्यों के बारे में अन्तर है जिसे आप देख सकते हैं । इस लम्बी बातचीत के दौरान जो बातें उन्होंने कहीं और जो हम ने कहीं, उन पर विचार हुआ । जब चीन वालों के साथ द्विभाषिये के द्वारा बात चीत होती है तो बड़ी भारी कठिनाई चीनी का अंग्रेजी अनुवाद करने में आती है । साधारण बात-चीत की बनिस्बत इस तरह से बातचीत करने में तीन गुना ज्यादा समय लग जाता है । इसलिये बात-चीत लम्बी चली और इन ऐतिहासिक तथा बुनियादी बातों पर जो हमारा मतभेद था वह बारबार सामने आया ।

हम ने जो तथ्य दुनिया के सामने रखे हैं हम उन्हें उन दस्तावेजों से जो हमारे पास है प्रामाणिक सिद्ध कर सकते हैं । चीन वालों की बातें बुनियादी तौर पर ही अलग थीं, ऐतिहासिक, वास्तविक तथा व्यावहारिक दृष्टि से वे बिल्कुल उलट हैं ।

पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों की स्थिति को एक जैसी बताने की भी कोशिश की गयी । चीन वालों ने कहा कि यद्यपि पूर्वी क्षेत्र में हमें जाने का अधिकार नहीं था पर हमारी सेनाओं ने गत ८ या १० वर्षों में वहां तक धीरे धीरे अपने पांव जमा लिये हैं—अर्थात् हम वहां तक जा पहुंचे हैं जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है । उन्हों ने इस बात की तुलना पश्चिमी क्षेत्र की सीमा से की; हालांकि सारे तथ्य उलट हैं । सब बातें अलग हैं ।

अतः परिणाम यह हुआ कि दोनों देशों की बातों के बीच अलग तथ्यों की एक चट्टान आ खड़ी हुई; हालांकि मैत्रीपूर्ण भावनाओं का जिक्र हुआ। जब तथ्य ही अलग थे तो निष्कर्ष और दलीलें भी अलग अलग होनी ही थीं। आखिर यह सब कुछ तथ्य पर ही तो आधारित होता है। जब बुनियादी बातों पर ही मतभेद हो तब बातचीत की गुंजाइश ही कहां होती है।

इसलिये इस बात पर सहमति हुई कि जो सामग्री दोनों देशों के पास है उस के आधार पर बुनियादी तथ्यों की खोज की जाय। मैं ने कहा कि यह खोज अभी यहीं शुरू कर दी जाय परन्तु वे इस बात के लिये तैयार नहीं हुए और उन्हों ने कहा कि उन के पास पूरे कागजात नहीं हैं..... बहुत सी सामग्री वह चीन छोड़ आये है।

उसके बाद यह निश्चय किया गया कि इन तथ्यों की खोज दोनों सरकारों के अफसर करें और इस पर समझोता हुआ है।

यह तो स्पष्ट ही है कि जो अफसर इस काम को करेंगें वे किसी चीज का सुझाव नहीं दे सकते, वे इस समस्या के राजनीतिक पहलुओं का हल नहीं बता सकते और न ही वे कोई और सुझाव दे सकते हैं। वे केवल तथ्यों को ढूंढेंगे और ऐसी बातों की सूची बना लेंगे जिन पर दोनों पक्ष सहमत होंगे। ऐसे तथ्यों की भी सूची बनेगी जिन पर पक्षों में सहमति न हो या जिन की अग्रेतर जांच की आवश्यकता हो। मैं नहीं समझता कि इस से स्थिति का स्पष्टीकरण होगा और समस्या का हल आसान हो जायेगा। इस से केवल यही हो सकता है कि कुछ तथ्य स्पष्ट हो जायेंगे और हम जान सकेंगे कि किस साक्ष्य के आधार पर वे अपना दावा जतलाते हैं। अब तो हमें किसी दूसरी बात का ज्ञान नहीं है। हमारे थोड़े से सबूतों का उन्हें ज्ञान है क्योंकि जब उन्हों ने ही अपने सबूत नहीं दिये तो हम ने भी अपने पूरे सबूत नहीं दिये। अतः एक समिति या कुछ अफसर—समिति कहना शायद ठीक न हो—उन के अफसरों के पास हमारे तथ्य, हमारी सामग्री तथा हमारे अपने दस्तावेज ले कर जायेंगे और उनके नक्शों और दस्तावेजों को देखेंगे—सब चीजों को देखा जायेगा, माल के रेकार्ड, कर विभाग के दस्तावेजों तथा अन्य चीजों को देखा जायेगा। वे इस के बाद वस्तुगत रिपोर्ट देंगे और यह जरूरी नहीं कि दोनों उस रिपोर्ट से सहमत हों।

अब तक केवल हम यहां तक पहुंचे हैं। उसके बाद दोनों देशों की सरकारें उस रिपोर्ट पर विचार कर के आगे की कर्यवाही का निश्चय करेंगी।

मैं दो बातों का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। मैं ने पहले ही कहा कि मैं ने प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई के संवाददाता सम्मेलन की पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी हैं।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : क्या रिपोर्ट पर चर्चा करने और उस को प्रस्तुत करने के लिये कोई समय निश्चित किया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां। यह बात संयुक्त वक्तव्य में दी गई है। इन कागजों की जांच पड़ताल के लिये दिल्ली और पेकिंग में जो बैठकें होंगी उन के लिये चार महीने की अवधि निश्चित की गयी है। शायद पहली बैठक जून के प्रारम्भ में होगी—जून के प्रथम सप्ताह में। किन्तु कोई तिथि निश्चित नहीं की गयी है।

इसलिये मुख्य रूप से अब स्थिति यह हैं कि इतनी लम्बी बातचीत के बाद भी जिस में हम ने अपनी बातों को रखा और विचार किया—हम एक दूसरे को यकीन नहीं दिला सके। इन परिस्थितियों में, कई दृष्टिकोणों से इस बात को वांछनीय समझा गया कि अफसरों की बैठकें हों और उन अफसरों को किसी प्रकार का निर्णय करने का अधिकार न दिया जाय और बाद में इस बात को ले लिया जाय। इस बीच हमें सीमा पर शांति रखनी होगी क्योंकि झगड़ों से किसी भी पक्ष को फायदा नहीं पहुंचता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

यह स्थिति है। यदि समय होता तो मैं बड़ी खुशी से और भी सवालों का जवाब देता जो मुझ से पूछे जाते ।

†**श्री वाजपेयी** : इस विषय पर चर्चा होनी चाहिये ।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : इन बातों के अलावा, वास्तविक बात तो थी मैत्रीपूर्ण भावना की। क्या चीन वाले भी वस्तुतः हम से मैत्री करना चाहते है ।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : इस का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं। जहां विवाद हो, वहां एक चीज जो मदद करती है वह है सद्भावना। हमारे सामने बार बार अलग अलग तथ्यों की भारी चट्टान आती रहीं। वह सभा उन तथ्यों में विश्वास करती हैं, जिन्हें हम ने इस सभा के समक्ष रखा है और जिन की सत्यता पर हम स्वयं विश्वास करते हैं। अब दूसरे पक्ष ने दूसरे तथ्यों को सामने रख दिया है जो २०० या ३०० वर्ष से सम्बन्धित कहे जाते हैं और साथ हाल ही के वर्षों की घटनाओं को भी सामने रखा है।

इसलिये चर्चा करना कठिन हो जाता है। चर्चा तो तब हो सकती है। जब बुनियादी बातों पर सहमति हो किन्तु जब बुनियादी तथ्यों में ही अन्तर हो तो यह जानने की कोशिश करनी चाहिये कि इन तथ्यों का आधार क्या है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या सरकार को यह आशा है कि अफसरों की बैठकों से किसी प्रकार का निष्कर्ष निकलेगा ? क्या सरकार कोई कार्यवाही शीघ्र करना चाहती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं क्या कह सकता हूं। मुझे आशा तो है कि शायद उन बैठकों से तथ्यों पर प्रकाश पड़े। किन्तु उन से ज्यादा बात नहीं बनेगी। वह कर भी इतना ही सकते हैं इस प्रकार के हालात में हर आदमी स्वाभाविक रूप से यह कोशिश करता है कि हर तरीके को अपना कर देख लिया जाय ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मेरे ख्याल में तो इस बातचीत के दौरान किसी स्तर पर भारतीय जनता को उन के दावों और तथ्यों से अवगत कराना संभव न हो सकेगा ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : न तो उन के और न ही हमारे तथ्य गोपनीय हैं। उन के तथ्य भी सर्व-विदित हैं। कुछेक छोटी छोटी बातें शायद लोगों को न पता हों। मैं संक्षेप में ये बातें बताता हूं ।

उन का कहना है कि अत्यन्त प्राचीन काल मे, या आप कहिये कुछ सौ दो सौ वर्षों से उन की सीमा कराकुर्म पर्वत श्रेणी रही है, कनकला दर्रे तक। नक्शों के बिना आप इसे नहीं समझ सकेंगे। यदि आप उस सीमा को मान लेते हैं तो लद्दाख का एक बड़ा हिस्सा भारत से अलग हो जाता है। उन का कहना है कि इस क्षेत्र का उत्तरीय भाग तिब्बत का नहीं वरन् सीकियांग का अंग है और उस से कुछ नीचे का भाग तिब्बत का अंग है। उन्होंने यह भी कहा है कि उन की मौजूदा सरकार वहां नहीं पहुंची बल्कि चीन की पहली सरकार वहां पहुंची थी। उन्हों ने उस बात का उल्लेख भी किया जिसे मैं ने संसद् में कहा था और जिसे कुछ माननीय सदस्यों ने पसंद नहीं किया था। उन्हों ने इस बात का फायदा अपने दृष्टिकोण से उठाया। उन्हों ने कहा, "ऐसे क्षेत्र में कब्जा क्या हो सकता है जहां घास तक भी नहीं लगती और कोई व्यक्ति भी नहीं रहता।"

उन्हों ने कहा कि यह क्षेत्र अधिकांशतः गोबी मरुस्थल के समान है। ऐसे क्षेत्रों में सामान्यतया प्रशासकीय बंदोबस्त नहीं होता। रचनात्मक नियंत्रण अवश्य होता है; इस के अतिरिक्त वहां पर कभी कभी कोई प्रशासकीय अधिकारी और कभी कभी कोई कर एकत्रक चला जाया करता है। वे भी

†मूल अंग्रेजी में

वहां नहीं रहते। सर्दी के मौसम में तो वहां कोई जा ही नहीं सकता। उन्हों ने कहा कि "इस क्षेत्र पर हमारा कब्जा रहा है और यह वास्तविक कब्जा अब से नहीं वर्तमान सरकार से बनने से बहुत पहले से ही है।" यह है उन का बयान।

किंतु ध्यान देने की बात यह है कि हमारे पत्र व्यवहार तथा वार्ता के बीच उहोंने कभी भी सीमाओं को स्पष्ट रूप से नहीं बताया। हमारे पास अक्षांश, रेखांश, पर्वत शिखरों आदि का सारा विवरण है। हम ने तो श्वेत पत्र में भी अपनी सीमाओं को स्पष्टतया लिख दिया है। किन्तु कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने हमें स्पष्ट सीमाय नहीं बतलाईं।

†**एक माननीय सदस्य** : क्या चाऊ एन लाई ने आप को पेकिंग आने का निमंत्रण दिया है? (अन्तर्बाधायें)

†**डा० राम सुभग सिंह सहसराम** : हमारे उस इलाके जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है और प्रशासित इलाके की दूरी कितनी है? क्या हमारे सैनिक हमारे प्रशासित क्षेत्र में भी गश्त को नहीं जा सकेंगे?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इस प्रश्न का उत्तर उसी सीमा तक दे सकूंगा जिस तक मैं इसे समझा हूं। शायद किसी सदस्य ने चाउ. एन. लाई द्वारा मुझे किये गये निमंत्रण के बारे में पूछा था। मैं ने जवाब में यह कहा था कि हमें घटनाओं को देखना चाहिये और अफसरों की इस समिति के काम को देख कर ही हमें उस पर विचार करना चाहिये।

जहां तक गश्त का प्रश्न है इस वक्तव्य में यह कहा गया है कि सीमा पर विवाद आदि झगड़ों है को रोकने के लिये हर कोशिश करनी चाहिये। यह एक सामान्य हिदायत है। हम ने देखा है कि इस पर सख्ती से चलना भी कठिन है और कुछ हद तक अवांछनीय भी। मेरे विचार में हम लोगों को निस्तब्ध तो बिठा नहीं सकते और यह भी नहीं कह सकते कि वे दाये बाये भी न जाये। पर उन से यह कहना उचित है कि वे ऐसा कोई कदम न उठाये जिस से उन को किसी उलझन में फंसना पड़े।

†**डा० राम० सुभग सिंह** : मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे सैनिकों के लिये गश्त संभव होगी?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बिना झगड़ा किये हमारे लोगों को आजादी से घुमने फिरने की इजाजत होगी।

†**श्री वाजपेयी** : क्या सरकार जांच पड़ताल से पूर्व चीनियों को भारतीय भूमि से निकालने का कोई प्रयास न करेगी?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं यह बात साफ हो गयी है। क्या माननीय सदस्य को अब भी किसी बात पर शक है।

†**श्री वाजपेयी** : हां श्रीमान्।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे बड़ा अफसोस है। हर सामान्य आदमी भी यह समझ सकता है कि या तो आप जंग कर सकते हैं या फिर बात चीत ही। हम जंग शुरू कर के बात चीत नहीं कर सकते। दोनों बात इकट्ठी नहीं हो सकतीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है इस लिये मैं इस के लिये विशेष समय निर्धारित करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जैसी आप की इच्छा हो। परन्तु कल या परसों आना मेरे लिये कठिन होगा। २९ को मैं आ सकूंगा और यह सत्र का अन्तिम दिन भी है। यदि आप कहें तो मैं २९ को उपस्थित हो जाऊंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा। २९ को इस विषय पर चर्चा होगी।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के वार्षिक लेखे

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: मैं श्री करमरकर की ओर से, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, १९५६ की धारा १८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत वर्ष १९५६–५७ और १९५७–५८ के लिये अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के वार्षिक लेखे, तत्सम्बन्धी लेखाप रीक्षा प्रतिवेदन सहित सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी––२१२४/६०].

खाद्य अपमिश्रण रोक नियम

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं श्री करमरकर की ओर से खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण रोक नियम १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १६ अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४२५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी––२१२४/६०]

दिल्ली मोटरगाड़ी नियमों में संशोधन

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: मैं दिल्ली मोटर गाड़ी अधि नियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिल्ली गजट में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :––

(एक) दिनांक ११ फरवरी, १९६० के दिल्ली गजट में प्रकाशित संख्या एफ० १२(१५९)/६७––ट्रांस्पोर्ट।

(दो) दिनांक ३ मार्च, १९६० के दिल्ली गजट में प्रकाशित संख्या एफ० १२(१९७)/६८––ट्रांस्पोर्ट।

(तीन) दिनांक २४ मार्च, १९६० के दिल्ली गजट में प्रकाशित संख्या एफ० १२(१५)/६९––ट्रांस्पोर्ट।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी––२१२६/६०]

चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश में संशोधन

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उप धारा (६) के अंतर्गत चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नि ण आदेश, १९५९ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १६ अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४२८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिय संख्या एल टी––२१२७/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में